

बच्चों के विरुद्ध अपराध: कारण और परिणामों का समाजशास्त्रीय अध्ययन

नीतू बाला आर्य

सहायक आचार्य (गेस्ट फ़ैकेल्टी)– समाजशास्त्र
राजकीय महाविद्यालय, बूँदी

सारांश–

बाल अपराध, किशोर अपराध की ओर बढ़ने का प्रथम चरण है। यह वह आरंभिक सीढ़ी है जहाँ व्यक्ति अपराध की बुनियादी समझ विकसित करता है और आपराधिक कृत्यों में अपनी दक्षता बढ़ाता है। प्रत्येक व्यक्ति की कुछ इच्छाएँ और आवश्यकताएँ होती हैं, जिन्हें वह समाज में स्वीकृत और प्रचलित तरीकों से पूरा करना चाहता है। किन्तु, जब ये इच्छाएँ स्वीकृत तरीकों से पूरी नहीं हो पातीं, तो व्यक्ति दो संभावनाओं का सामना करता है—कृया तो वे इच्छाएँ दबा दी जाती हैं, या व्यक्ति उन्हें समाज-विरोधी और अनैतिक तरीकों से पूरा करने का प्रयास करता है। ऐसे प्रयास, जो समाज की नैतिकता और विधियों का उल्लंघन करते हैं, अपराध की श्रेणी में आते हैं और व्यक्ति को अपराधी बना देते हैं।

राज्य द्वारा निर्धारित परिभाषा के अनुसार, 16 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों द्वारा किए गए समाज-विरोधी व्यवहार को बाल अपराध कहा जाता है। बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों में आधुनिक प्रवृत्तियाँ जैसे शारीरिक और मानसिक दुर्व्यवहार, चोट, उपेक्षा, अशिष्ट व्यवहार, और यौन उत्पीड़न शामिल हैं। ये अपराध घर, स्कूल, अनाथालय, आवास ग्रह, सड़कों, कार्यस्थलों, जेल, और सुधार गृहों जैसे किसी भी स्थान पर हो सकते हैं। बचपन में इस प्रकार के हिंसा और दुर्व्यवहार के अनुभव बच्चों पर दीर्घकालिक मानसिक और भावनात्मक प्रभाव डालते हैं, जिससे उनके व्यक्तित्व विकास में बाधा उत्पन्न होती है।

यह सर्वविदित है कि "आज के बच्चे कल का भविष्य हैं।" इन बच्चों के कंधों पर समाज की समस्त जिम्मेदारी टिकी हुई है। यदि हमारी अनदेखी के कारण ये कंधे कमजोर हो जाते हैं, तो यह समाज के लिए गंभीर संकट का कारण बन सकता है।

प्रस्तुत शोध बच्चों के प्रति हो रहे अपराधों के आधुनिक स्वरूपों को उजागर करने का एक गहन और सार्थक प्रयास है। यह अध्ययन इन अपराधों के कारणों, परिणामों और संभावित समाधानों पर प्रकाश डालने का उद्देश्य रखता है, ताकि बच्चों के बेहतर विकास और समाज के उज्ज्वल भविष्य को सुनिश्चित किया जा सके।

उद्देश्य

1. बच्चों के विरुद्ध होने वाली आपराधिक प्रवृत्तियों की पहचान करना और उनके स्वरूप का गहन अध्ययन करना।
2. बाल हिंसा के आधुनिक और उभरते हुए स्वरूपों का विश्लेषण करना।

शोध विधि

यह शोध पत्र बाल हिंसा के आधुनिक स्वरूपों को समझने के लिए तथ्यों के संग्रह और उनके विश्लेषण पर आधारित है। तथ्य संकलन के लिए द्वितीयक स्रोतों जैसे समाचार पत्र, पत्रिकाएँ, वेबसाइट, और प्रासंगिक लेखों का

उपयोग किया गया है। साथ ही, इस शोध में वर्णनात्मक पद्धति का भी उपयोग किया गया है, जिससे विषय की व्यापक समझ और सटीक निष्कर्ष प्रस्तुत किए जा सकें।

मूल शब्द: बाल अपराध, हिंसा, दुर्व्यवहार, सुधार गृह, नैतिकता, असुरक्षा, अश्लीलता, शोषण, उत्पीड़न, श्रमिक, अपहरण, मजदूरी, तस्करी, उपभोग।

प्रस्तावना

इस विषय का मौलिक प्रश्न यह है कि बालक कौन है? बालक की परिभाषा का संबंध विशेष आयु से है यह आयु प्रत्येक देश में भिन्न-भिन्न है। भारत में अधिनियम 2000 के अनुसार वर्ष से 18 वर्ष से कम आयु लड़के के लिए व 16 से कम लड़की के लिए मानी गयी है। बचपन जिन्दगी का बहुत सुन्दर सफर होता है इसमें न तो कोई चिंता होती है न कोई फिक्र। प्रत्येक बालक में लड़कपन व नटखटपन होता है। यह उसका प्राकृतिक स्वभाव है। कहा जाता है कि बच्चे मानव जाति के लिए एक दैविय उपहार हैं। ये भविष्य के स्तम्भ होते हैं। देश का विकास एवं प्रगति इन्हीं भावी कर्णधरों पर निर्भर होती है। इसके बावजूद हमारे समाज की सच्चाई यह है कि “हमारे समाज के भावी कर्णधर, करोड़ों बच्चों का कोई सुरक्षित भविष्य नहीं। वे न घर में सुरक्षित हैं और न आसमान के नीचे। इस प्रकार के बच्चों का बचपन अभावों, शोषण व हिंसा की दर्द भरी दास्ताँ है जो प्रतिदिन असामाजिक कार्यों में लगे लोगों के हाथों की कठपुतली बनकर शोषित हो रहें या नारकीय जीवन बीता रहें हैं।”³ बालमन को ठेस पहुँचाने, उनका शोषण करने एवं गलत राह पर चलने के लिए मजबूर कौन करता है? परिवार, सामाज या उससे उत्पन्न नकारात्मक परिस्थितियाँ। बच्चों के प्रति होने वाली हिंसा का मुख्य केन्द्रबिन्दु यही है कि 18 वर्ष से नीचे आयु वर्ग के बच्चों के विरुद्ध सभी प्रकार की हिंसा, हिंसा या अपराध में शामिल हैं। जो माता-पिता, साथी या अजनबी व्यक्ति एवं देख-रेख करने वाले व्यक्ति द्वारा उनके विरुद्ध की जाये। बचपन में होने वाली हिंसा बालमन पर एक अमित छाप छोड़ जाती है जो उस बालक के सम्पूर्ण स्वास्थ्य व अस्तित्व को प्रभावित करता है।

बच्चों के प्रति हिंसा या अपराध

बच्चे किसी भी सभ्यता के आधार और भविष्य के निर्माणकर्ता होते हैं। किसी देश की प्रगति और विकास का अनुमान वहाँ के बच्चों की वर्तमान स्थिति से लगाया जा सकता है। इन मासूम कंधों पर न केवल मानवता की आधारशिला रखी जाती है, बल्कि देश के उज्ज्वल भविष्य की भी जिम्मेदारी होती है। हालांकि, बाल अपराधों के बढ़ते आँकड़े भारत की नई पीढ़ी में गहराती निराशा और बढ़ती हिंसक प्रवृत्ति की ओर संकेत करते हैं। इसके पीछे के कारण क्या हैं?

इस समस्या का मुख्य कारण पारिवारिक संस्था का कमजोर होना, बढ़ती व्यावसायिकता और प्रभावहीन कानून व्यवस्था है। एक ओर जहाँ हमारा देश आर्थिक और तकनीकी विकास की ओर अग्रसर है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक नैतिकता का स्तर लगातार गिरावट की ओर बढ़ रहा है। ‘छोटा परिवार-सुखी परिवार’ के इस युग में माता-पिता बच्चों को पर्याप्त समय नहीं दे पा रहे हैं। उनकी प्राथमिकता अधिक धन कमाने और व्यावसायिक उपलब्धियों में होती है, जिससे बच्चे भावनात्मक रूप से उपेक्षित और असुरक्षित महसूस करते हैं।

बाल अपराध या बाल हिंसा के लिए कौन जिम्मेदार है? इसका उत्तर दो प्रमुख पहलुओं में मिलता है—व्यक्ति स्वयं और समाज। समाज के कुछ स्थापित मूल्य और आदर्श होते हैं, जिनका उद्देश्य सामूहिक कल्याण है। लेकिन कभी-कभी व्यक्ति जानबूझकर इन मूल्यों की अवहेलना करता है, तो कभी परिस्थितियाँ उसे ऐसा करने के लिए विवश करती हैं। सामाजिक मूल्यों की सुरक्षा के लिए परंपराओं और नियमों का विकास हुआ है, जिनके उल्लंघन को अपराध माना जाता है। इन अपराधों को रोकने के लिए दंड का प्रावधान भी होता है, जैसे सामाजिक बहिष्कार।

बाल अपराध की समस्या केवल एक कानूनी चुनौती नहीं है, बल्कि यह सामाजिक, नैतिक और पारिवारिक संरचनाओं की कमजोरी को भी दर्शाती है। बच्चों की उचित देखभाल और सुरक्षा के बिना, भविष्य का निर्माण सशक्त नहीं हो सकता। अतः यह अत्यावश्यक है कि हम बच्चों के प्रति अपने दृष्टिकोण और दायित्व को समझें और उन्हें एक स्वस्थ, सुरक्षित और नैतिक वातावरण प्रदान करें।

बाल-अपराध के लक्षण

1. पारिवारिक सदस्यों की अपराधिक बात का प्रभाव न होना।
2. अश्लील साहित्य पढ़ना व चलचित्र देखना।
3. नितान्त अकेलेपन में रहना।
4. गलत संगत का प्रभावी होना।
5. नैतिक मूल्यों का प्रभावहीन होना।
6. प्रलोभन में शीघ्र आ जाना।
7. माता-पिता का जीवन सुखमय न होने के कारण निराश व गुमसुम दिखना।

परिवार में माता-पिता के मध्य अच्छे संबंध न होने पर बच्चों की देखभाल उचित नहीं होती या पिता के अल्पसमय में साथ छोड़ देने या नौकरी करने वाली महिलाओं का बच्चों की देखभाल के लिए आया का रखना। माता के न रहने पर दोनों ही स्थितियों में बच्चों की परवरिश पर पफर्क पड़ता है और बच्चों को मजबूरी में अन्यत्र कार्य करना पड़ता है सभी लक्षण उन बच्चों में परलक्षित होते हैं। बच्चों के प्रति विभिन्न दौर में अलग-अलग जगहों पर होने वाली मुख्य व नवीनतम हिंसाओं को विभिन्न प्रकारों या स्वरूपों के माध्यम से समझ सकते हैं।

बच्चों के विरुद्ध अपराध की आधुनिक प्रवृत्तियाँ

सामान्यतः वर्तमान चकाचौंध भरे समाज में बालकों के प्रति होने वाले अपराधों की अधिकता आधुनिकता की अवधारणा को संशय के घेरे में खड़ा करती है। यह देश के नैतिक विवेक का क्षरण है। देश के होनहार बालकों के प्रति हिंसा के मुख्य स्वरूप जैसे—

1. **भ्रूण हत्या:** सभी जानते हैं कि भ्रूण हत्या पुत्र की चाह में की जाती है, बहुत कम देखने को मिलता है कि मैडिकल की समस्या के कारण किसी भ्रूण को मारा जाता हो। भारतीय समाज में एक माँ कभी नहीं चाहती कि उसकी कोख में पल रहे बच्चे की हत्या की जाए। लेकिन पुत्र की चाह में रिश्तेदार और समाज इस हत्या को करने से गुरेज नहीं करते। भारत में यह कानूनी अपराध है लेकिन चोरी छिपे कहीं न कहीं यह आज भी जारी है। जिसकी सूचना आए दिन हमें अखबार आदि के माध्यम से मिल जाती है।
2. **बच्चों की गुमशुदगी:** घर से स्कूल, बाजार जाते वक्त या खेलते-खेलते बच्चों का गायब हो जाना ही गुमशुदा कहलाता है। जिसकी तलाश के लिए रिपोर्ट दर्ज होते ही बच्चों का नाम, पता, फोटो सहित दीवार व 'डिजिटल वाल' पर फ्लैश हो जाती है।
3. **बालक के प्रति क्रूरता:** कम उम्र के बच्चों के प्रति अनदेखी, भय पैदा करना, बुरा बर्ताव, इस तरह की हिंसा माता-पिता, संरक्षक, घर, स्कूल, अनाथालय, संरक्षणग्रह इत्यादि में होती है।
4. **मनोवैज्ञानिक क्षति पूर्ण हिंसा:** बच्चों को दूसरे गुप द्वारा चिढ़ाना, अश्लील मैसेज, फोटो भेजकर गलत वीडियो क्लिप बनाकर वायरल करने की धमकी देना, राह चलते कमेंट करना, पीछा करना इत्यादि। इस प्रकार की हिंसा स्कूल या ऑनलाइन बात करके, मॉल, पार्क, होटल पर मिलकर होती है। इसमें बच्चों का लगातार भौतिक, शारीरिक, मानसिक व सामाजिक उत्पीड़न शामिल है।
5. **बाल श्रमिकों का शोषण:** इस प्रकार का शोषण किसी भी स्थान चाहे होटल, दुकान, फैक्ट्री या अन्यत्र कहीं भी बच्चों को कम पैसे देकर अधिक काम लेना के रूप में समाज में व्याप्त है। यह हिंसा पारिवारिक निर्धनता व मूलभूत सुविधाओं के उपलब्ध न होने के कारण होती है।

6. **भीख माँगने के प्रयोजन के लिए बालक का नियोजन:** सड़क किनारे, रेलवे प्लेटफॉर्म इत्यादि पर चरस-गांजा अफीम का सेवन कराकर, गलत कार्य करना, बाल हिंसा या अपराध के स्वरूप ही हैं।
7. **बालकों का किसी प्रयोजन के लिए विक्रय:** वेश्यावृत्ति एवं अंगों का प्रत्यारोपण इत्यादि के लिए भी बच्चों का शोषण होता है।
8. **शारीरिक दंड:** परिचितों एवं अजनबियों द्वारा या घरेलू कार्य करने वाले बालकों के प्रति, दुकान, होटल में कार्यरत बालकों के विरुद्ध हथियारों या मारपीट के द्वारा प्रताड़ित करना भी बच्चों के प्रति अपराध ही है।
9. **उग्रवादी समूहों द्वारा निःशक्त बालकों का उपयोग:** जिन बच्चों के कोई संरक्षक या माता-पिता नहीं होते उनको धन का लालच देकर उग्रवादी समूह गलत कार्यों का प्रशिक्षण देकर इस्तेमाल करते हैं।
10. **बच्चों का अपहरण:** माता-पिता से पिफरोती वसूल करना न मिलने पर उनके अंगों की खरीद फरोख्त करना या मार देना इत्यादि।
11. **बंधुआ मजदूरी:** ये अधिकांशतः कृषि क्षेत्र में है, जब माता-पिता करजा ले लेते हैं तो उसे चुकाने के लिए अपना व बच्चों का श्रम देकर उस करजे को उतारने की कोशिश करते हैं। जहाँ उनके साथ दुर्व्यवहार होता है। यह बंधुआ मजदूरी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती है।
12. **बच्चों की तस्करी:** सही अर्थों में बच्चों की तस्करी, गुलामी, जबरन श्रम और शोषण के उद्देश्य से उठाकर या कहें कि बच्चों की चोरी कर उनके अंग को बेचना ही तस्करी है ताकि बच्चों को अपाहिज बनाकर उनसे भीख मंगवायी जा सके। इसी उद्देश्य से बच्चों की तस्करी की जाती है।
13. **यौन उपभोग:** बिना सहमति के शारीरिक संबंध बनाना, जो बच्चे सहमति या असहमति देने में अक्षम हैं ऐसी बाल हिंसा मानवता को शर्मसार करती है। इसमें बलात्कार यौन दुर्व्यवहार, गलत स्पर्श इत्यादि शामिल है।
14. **किसी भी संबंधी द्वारा इंटरनेट पर पॉर्न साइट देखने के लिए उकसाना:** ये साइट बच्चों में सेक्स को लेकर विकृत सोच पैदा करती है।
15. **माजाक उड़ाना, डराना:** धमकाना, भेदभाव, ठुकराना व अन्य अमानवीय कठोर व्यवहार या कदम।
16. **मॉल व शोरूम के ट्रायल रूम में कपड़े ट्राई करते समय कैमरे का दुरुपयोग कर बच्चों को ब्लैक मेल करना, भी उनके विरुद्ध हिंसा का नवीनतम स्वरूप ही परिलक्षित होता है।**

इस प्रकार उपरोक्त सभी हिंसात्मक स्वरूपों के आधार पर कहा जा सकता है कि, "अशिष्ट व्यवहार, मानसिक दुर्व्यवहार, यौन दुर्व्यवहार के रूप में बच्चों के विरुद्ध हिंसा को समझा जा सकता है। इसी कड़ी में जब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तब हम यह भी देखते हैं कि जो पॉर्न सामग्री बांटी जा रहा है उस पर सरकार का नियंत्रण नहीं बच्चों के यौन शोषण को प्रेरित करने वाला एक बड़ा माध्यम पॉर्न सामग्री है। ताजा आंकलन के अनुसार पोनोग्राफी का बाजार 101 बिलियन डालर 6.7 लाख करोड़ रुपये के बराबर है। हर 34 मिनट में एक पॉर्न फिल्म तैयार होती है।

बच्चों के प्रति हिंसा या अपराध के परिणाम: बच्चों पर होने वाली हिंसाओं के परिणामस्वरूप उनकी सामाजिक, शारीरिक व पारिवारिक स्थिति पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है जिसे हम निम्नलिखित बिन्दुओं द्वारा समझ सकते हैं।

1. हिंसा के शिकार बच्चे, धूम्रपान, शराब या मादक पदार्थों का सेवन, हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं।
2. आत्महत्या या अन्य प्रकार की मानसिक समस्याओं के शिकार हो सकते हैं।
3. अनचाहे गर्भधारण के शिकार एवं संभोग जनित बीमारियों जैसे-एच.आई.वी. के शिकार हो जाते हैं।
4. गलत आदतों की नकल करने से जल्द बुढ़ापे की ओर अग्रसर होते हैं। उनमें कैंसर, डाइबिटीज जैसी घातक बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। गलत आदतें जैसे- तम्बाकू, अफीम, गांजा, मधुपान का सेवन।
5. हिंसा का शिकार बच्चे स्कूल छोड़ने के बाद रोजगार पाने में दिक्कत का सामना करते हैं और हिंसक प्रवृत्ति में बने रहने की आशंका होती है।

कारण: बच्चों के प्रति होने वाली हिंसा या अपराध बहुआयामी है जिसके कारण समाज, समुदाय एवं निकट संबंधी हैं जो हिंसा से पीड़ित के लिए भाँति-भाँति तरह की समस्याएँ पैदा करती हैं। ये कारण निम्नलिखित स्तर पर देखे जा सकते हैं।

व्यक्तिगत स्तर पर

1. शिक्षा का निम्न स्तर।
2. निम्न आय एवं मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएँ।
3. समलैंगिकता।
4. मादक पदार्थों का खतरनाक प्रयोग।
5. हिंसा का सहारा लेने का चलन।

नजदीकी संबंधियों के स्तर पर

1. बच्चों व माता-पिता तथा संरक्षकों के बीच भावनात्मक लगाव की कमी।
2. परिवार का अलग होना।
3. गलत लोगों के साथ जुड़ाव।
4. अनइच्छित विवाह।

समुदाय के स्तर पर मुख्य जोखिम पूर्ण तत्व

1. शराब का आसानी से उपलब्ध होना।
2. गैर कानूनी कार्य करने वालों का जमावडा।
3. अतिसघन जनसंख्या घनत्व।
4. अल्प आय एवं गरीबी

समाज के स्तर पर मुख्य जोखिम पूर्ण तत्व—

1. अपर्याप्त सामाजिक सुरक्षा।
2. कमजोर प्रशासन एवं लचर कानून व्यवस्था।
3. लैंगिक सामाजिक समानताएँ।⁴
4. उपरोक्त सभी कारण ऐसी आवोहवा पैदा करते हैं कि बालकों के विरुद्ध हिंसा आम बात हो जाती है।

बच्चों के विरुद्ध अपराध एक गंभीर सामाजिक समस्या

आज के इस आधुनिक व विकसित समाज में बालकों के विरुद्ध होने वाली हिंसा एक गंभीर सामाजिक समस्या के रूप में जन्म ले चुकी है यह समस्या कोई नई नहीं बल्कि सदियों पुरानी है हाँ इतना अवश्य है कि आज यह नये-नये स्वरूपों में समाज में फैलती जा रही है जो कि गंभीर समस्या का रूप ले चुकी है। समाज में परिवर्तन असन्तुलित रूप में हो रहा है इससे बालकों का मन मस्तिष्क बुरी तरह प्रभावित है। पारिवारिक सदस्यों का उचित समय व ध्यान न देना उनको गलत राह पकड़ने पर मजबूर कर रहा है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है वह समाज में रहकर अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति भी समाज में ही करता है। यहाँ यह आवश्यक है कि समाज में सहयोग एवं शक्ति की भावना पाई जाए। “बच्चों के प्रति होने वाले अपराध एक समस्या है जो कि समाज की जड़ों को खोखला करने का काम करते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि इस गंभीर समस्या की रोकथाम कर समाज से समाप्त किया जाए।”

व्यापक धरातल पर बच्चों के खिलाफ हो रही बर्बर-हिंसा को एक घटना के रूप में देखा जाता है और हर घटना पर मोमबत्ती आंदोलन होता है। किसी भी समाज के मूल चरित्र का निर्धारण बच्चों के किए जाने वाले बर्ताव से ही हो सकता है, हमारा बर्ताव बता रहा है कि भारत का समाज बर्बर व्यवहार के साथ असभ्यता के नए मुकाम की तरफ बढ़ रहा है। जब परिजन ही बलात्कार करते हैं, तब भी परिजन ही तय कर लेते हैं कि अपराधी को सजा मिले या नहीं! परिजनों को लगता है कि यदि कानूनी कार्य वाही होगी तो 'उनके कुटुंब की गरिमा धूमिल होगी, मानो बच्चों से बलात्कार करके उनकी गरिमा में 'चार चाँद' लग रहे हो। शिक्षा केन्द्रों, घरों, ऑपिफस, बाल संरक्षणगृह व देखभाल के लिए संस्थाओं में भी बाल शोषण व यौन दुर्व्यवहार हो रहे हैं।

बच्चों के विरुद्ध अपराध की रोकथाम के केन्द्र बिन्दु

इस संबंध में डॉ. कलाम ने कहा था कि, "बच्चों के अधिकारों और उनकी आकांक्षाओं के संरक्षण के बिना न्यायसंगत समाज का निर्माण नहीं किया जा सकता। भविष्य की वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए बच्चों की अंतर्निहित रचनात्मक क्षमताओं को पहचानकर उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जब तक हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं होते तब तक 'न्यू इंडिया के विजन' और भारत के रूपान्तरण के लक्ष्य को पूरा नहीं किया जा सकता है।" 6 बच्चों के प्रति मानसिकता को बदलने के लिए सक्रिय रूप से समाज की प्राथमिक इकाई 'परिवार से शुरुआत करनी आवश्यकता है।

1. बच्चों पर होने वाली हिंसा को रोकने के लिए उन सभी जोखिम तत्वों जैसे— समाज, समुदाय, व्यक्तिगत एवं नजदीकी संबंधियों इत्यादि पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।
2. उग्र अनुशासन पर पाबंदी एवं कानूनों का सख्ती से पालन होना चाहिए।
3. मधुपान, अश्लील साहित्य व इंटरनेट पर उपलब्ध गलत पॉर्न वीडियो पर रोक होनी चाहिए।
4. सुरक्षित माहौल एवं हिंसा के लिए 'हॉट स्पॉट' की पहचानकर पुलिसिंग कर समस्या को रोकने का प्रयास होना चाहिए।
5. श्रेष्ठ संरक्षक या पालनहार बनने का प्रशिक्षण भी देना चाहिए मुख्यतः जो प्रथम बार माता-पिता बनें।
6. आर्थिक स्थिति सुदृढ़िकरण पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
7. बच्चों की शिक्षा रोजगार परक हो, इस पर भी नीति एवं योजनाओं को क्रियान्वित करने की आवश्यकता है।
8. हिंसा से शिकार बच्चों के लिए प्रभावी आपातकालीन व्यवस्था होनी चाहिए।

निष्कर्ष

आज के इस प्रौद्योगिक समाज में बालको के प्रति हिंसा समाज में कलंक है। यदि हम ये सोचते हैं कि किसी भी समस्या को समाप्त करने की जिम्मेदारी सरकार की है तो यह गलत है सच तो यह है कि सरकारों व समाज को मिलकर बच्चों के हितों की रक्षा करनी होगी। हमें अपनी उस परम्परा को अब बदलना होगा, जिसमें बच्चों को बड़ों पर सवाल न करने की सीख दी जाती रही है। जिससे वो राह से न भटकें और समाज का मुख्य पक्ष बने रहें। इस तरह 'बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम' में संशोधन करते समय इंसानियत व इंसाफ मुख्य उद्देश्य हो।

संदर्भ ग्रंथ

1. बच्चों के प्रति बढ़ते अपराध, समाज के लिए घातक, <https://www.bhaskar.com.news>
2. hindiiasbook.com/crimeagainstchildren
3. डॉ. सुधा शर्मा, बालश्रम-मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन, राध कमल मुकर्जी: चिन्तन परम्परा जुलाई-दिसम्बर, 2018



4. Violence against children, crime in india, 2015
5. Jetir may] 2016, 3(5).
6. <https://www.civilhindipedia.com/blogs/blog-crime-against-children-in-india>
7. "भारत में बाल अपराध" – डॉ. रामेश्वर सिंह, बाल अपराध के विभिन्न पहलुओं और इसके समाज पर प्रभाव का विश्लेषण।
8. "बाल विकास और समाज" – डॉ. अनुपम त्रिपाठी, बाल विकास और समाज में बच्चों की स्थिति का गहन विश्लेषण।
9. बाल अधिकार और उनका संरक्षण" – यूनिसेफ (UNICEF) प्रकाशन